न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 18 /अपील/19

राजेश कुमार वल्द राधेश्याम भील नि0 गिन्दोर तहसील झालरापाटन वगै0
बनाम
सन्तोष बाइ पत्नि राधेश्याम भील नि0 गिन्दोर तहसील झालरापाटन
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार झालरापाटन दिनांक 25.01.2007
नामान्तरकरण संख्या 275

14/10/19 अभिभाषक श्री शेलेन्द्र कुमार पोसवाल द्वारा तहसीलदार झालरापाटन के आदेश दिनांक 25.01.2007 2007 जिसके द्वारा ग्राम नाहरडी स्थित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 275 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होने पर प्रस्तुत की गई है।

अपील मेंमों में अंकन किया गया है कि आराजी पूर्व में अपीलान्ट के पिता की शामलाती खाते दर्ज थी,पिता की मृत्यु उपरान्त फोती इन्तकाल में अपीलान्ट्स के नाम सहवन से घर में बोले जाने वाले नाम दर्ज कर दिये, जिसमें राजेश व राकेश के स्थान पर क्रमशः बन्टी व राजू कर दिया गया। नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण नाम शुद्धीकरण (correction of entry) का है व इस तरह के प्रकरणों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के नियमों में प्रावधान हैं। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्ट को किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अपील अपीलान्ट को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है। अभिभाषक अपीलान्ट विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। प्रकरण बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़